

पेजी
सी.एन.ए.ए.
यास 31/2/16
डा. 31/2/16

शुद्ध 11-13/2016/14-1

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्य प्रदेश, भोपाल

288
03-02-16
①

एकल नस्ती कमांक अ-2-3 यूडी स्था/सी 26-1997/

विषय:- याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 12601/15 द्वारा श्री रामलखन सिंगरौल विरुद्ध
मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य ।

याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 12601/15 द्वारा श्री रामलखन सिंगरौल विरुद्ध
मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर
में दायर की गई है ।

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है । इस हेतु प्रभारी
अधिकारी के रूप में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास शहाडोल को
नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक अवस्थी द्वारा प्राप्त सूचना पत्र के संदर्भ में
प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश की 1 प्रतियाँ अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ नस्ती
पर प्रेषित है । प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति के आदेश प्रसारित उपरान्त
नस्ती मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

अवर सचिव (रिट्स)
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

संयुक्त संचालक (स्थापना)

जाबडू कु
53
2/2/16

56
डा.
31/2/16

2

संक्र. 11-13/2016/14-

एकल नस्ती कमांक अ-2-3 यूडी स्था/सी 26-1997/

विषय:- याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 12601/15 द्वारा श्री रामलखन सिंगरौल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

कृषि संचालक संचालक (स्थापना) किसान कल्याण तथा कृषि विकास से उच्च विषयान्तर्गत पूर्व पृष्ठ-1 में प्राप्त प्रस्ताव का अभिलेखन करके जिसमें प्रभावी श्रमिकों के रूप में उप संचालक कार्यालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

31
6/2/16

अनु. अधिन.

D.S(G)

31 अनुमोदनार्थ ।

प्रमुख सचिव

Signature
9/2/16

(क) अध्यापिका वि०।

DS(G)

Signature
9/2/16

US (स्था.)

Signature
11/2/16

SO (स्था.)

Signature
12/2/16

Signature
12/2/16

मी. धनराज
12/2/16

25/11-13/2016/14-1

(5)

छब्बीस-२ सूचिवालय

विषय:- मोरचा क्रमांक डबल्यू. पी. 12601/15 दंगा की रोक-
ताड़ना सिंगाईल विरुद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

मंत्री: छवि
का विभाग

प्रर्व हल्ले:-

कृपया हरताक्षार्थ प्रस्तुत है।

B.
25/02/16

अनु. अधि.
पं

25/2/16

कृपया जारी करने के र्व अवलोकनार्थ।

उप सचिव.

27/2/16

जारी करें।

US (ख.प.)

504

29/2/16

29/2/16

29/2/16

US 7 58

कैपल सिंगल

20/2/16

प्रभारी अधिकारी के निम्नलिखित के आदेश जारी
कर दिये गये हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने के
सर्वप्रथम से कृपया विधि-विभाग को अंकित
करना चाहें।

A-2/C

अनु. अधि.
पं

01/03/16

उप सचिव.

अर प्रतिरक्षण आदेश हेतु

प्रकरण विधि विभाग को अंकित करना

चाहेंगे।

प्रमुख सचिव

24/2/16

B.
11/3/16

483/16
21/3/16

4

शुक्र. 11-13/16/14-1

छब्बीस-२ सचिवालय

No. 22-17/PS/FWAD
Date 2/3/16

विषय:- प्रोचिका क्रमांक डबल मुठ पीठ 12601/15 द्वारा
श्री रामलखन सिंगरोल विरुद्ध मा. प्र. शासन व अन्य / प्रो. प्रो. कृषि
का विभाग

पूर्व पृष्ठ ले.

प्रतिशान काउन्सिल के नती अंकित।

प्रमुख सचिव (विधि)

(सो. प्रो. प्रो. कृषि)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मोपाल

7/161

का. मो. प्रो.
10-3-16

FROM :

FAX NO. :

14 Aug 2015 11:43 PM P1

कृषि विभाग (खाना)

2416
19-08-15

GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

COURT CASE-URGENT

Phone { Office : 2673740
2678165
Fax : 2621216

D. O. No.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
MADHYA PRADESH, JABALPUR

JABALPUR

August 12, 2015
Dated

To,

The Principal Secretary,
Govt. of M.P.,
Farmer Welfare and Agriculture Deptt.,
Mantralaya,
Bhopal.

The Joint Director,
Farmer Welfare and Agriculture Development,
Rewa/Shahdol, Rewa(MP).

WP No. 12601/15-Ramlakhan Singrol Vs. State of M.P. & ors.

The aforesaid matter listed for consideration on 6.8.15 wherein petitioner is contending that even after acquittal from the criminal case respondents are not settling his retiral claim. The Hon'ble Court has issued the notices and directed for filing of reply. Please appoint some responsible officer as OIC to contact the Office of the Advocate General for preparation of reply within two weeks positively.

(DEEPAK AWASTHI)
GOVERNMENT ADVOCATE

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ -11/13 /2016/14-1,

भोपाल, दिनांक 29.2.16

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) आदेश सत्ताईस के नियम 1(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास शहडोल (पक्षकारों के नाम) द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 12601/2015 (एस) द्वारा श्री रामलखन सिंगरौल, पदच्युत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अन्य में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1- प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत/फाइलें, दस्तावेजन नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- 6- शासकीय अधिवक्ता की आवश्यकता अनुसार सहायता करेगा।
- 7- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(द) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां

इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

// 2 //

8- मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना

9- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।

10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।

11- यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।


12- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है यह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।

13- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित छुपी हुई नहीं रह जाये ।

14- प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुर्करर है तो वह, जैसे ही वाद का विशिष्ट होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

15- प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल




// 3 //

कमांक एफ -11/13 /2016/14-1,

भोपाल, दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपि:-

- 1- महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0, जबलपुर।
- 2- सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3- संबंधित कलेक्टर जिला शहडोल मध्य प्रदेश।
- 4- प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास शहडोल (पक्षकारों के नाम) द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 12601/2015 द्वारा श्री रामलखन सिंगरौल, पदच्युत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे
- 5- शासकीय अधिवक्ता, प्लीडर/अभिभाषक जबलपुर /इंदौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 6- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, शहडोल म0प्र0।
- 7- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला शहडोल म0प्र0।
- 8- उप संचालक लिटिगेश, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालयीन भोपाल।
- 9- अ-2-3/यू.डी./स्था/26-1997 संचालनालयीन म.प्र.भोपाल।
- 10- आदेश फाईल।


 अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

का0/प्र0



